



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271529
CG-DL-E-02042026-271529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1643]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1643]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1708(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 40) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७५३, पेंच नदी (कि.मी २३१.५० से कि.मी २३३.४००) और कान्हान नदी (कि.मी २५५.३०० से कि.मी २५९.१३०) आमडी सावनेर रोड पर निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी, नागपूर को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७५३, पेंच नदी (कि.मी २३१.५० से कि.मी २३३.४००) और कान्हान नदी (कि.मी २५५.३०० से कि.मी २५९.१३०) आमडी सावनेर रोड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नागपूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पारशिवनी					
गांव का नाम: पालोरा					
1	110	निजी	कृषक	0.3617 (हेक्टेयर)	0.3617
2	111	निजी	कृषक	0.2741 (हेक्टेयर)	0.2741
गांव का नाम: नयाकुंड					
3	364/1	निजी	कृषक	0.1052 (हेक्टेयर)	0.1052
4	364/2/B	निजी	कृषक	0.3955 (हेक्टेयर)	0.3955
5	475	निजी	कृषक	0.1017 (हेक्टेयर)	0.1017
6	509	निजी	कृषक	0.2442 (हेक्टेयर)	0.2442
7	511/1, 511/2	निजी	कृषक	0.0599 (हेक्टेयर)	0.0599
8	550	निजी	कृषक	0.2865 (हेक्टेयर)	0.2865
Total					1.8288

[फा. सं. NH-12014/85/2016-MAH(P-6)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1708(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required **for Construction of maintenance, management and operation on National Highway No 753 for the work of Pench River in the stretch of land from(Km. 231.50 to Km. 233.400)& Kanhan River (Km. 255.300 to Km 259.130)Amdi –Saoner Road 2 in the district of Nagpur in the state of Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Sub Divisional Officer , Nagpur** in the State of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the

objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling on National Highway No 753 for the work of Pench River in the stretch of land from(Km. 231.50 to Km. 233.400)& Kanhan River (Km.255.300 to Km 259.130) Amdi –Saoner Road in the district of Nagpur in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NAGPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Parseoni					
Village: Palora					
1	110	Private	Agriculture	0.3617 (Hectare)	0.3617
2	111	Private	Agriculture	0.2741 (Hectare)	0.2741
Village: Nayakund					
3	364/1	Private	Agriculture	0.1052 (Hectare)	0.1052
4	364/2/B	Private	Agriculture	0.3955 (Hectare)	0.3955
5	475	Private	Agriculture	0.1017 (Hectare)	0.1017
6	509	Private	Agriculture	0.2442 (Hectare)	0.2442
7	511/1, 511/2	Private	Agriculture	0.0599 (Hectare)	0.0599
8	550	Private	Agriculture	0.2865 (Hectare)	0.2865
Total					1.8288

[F. No. NH-12014/85/2016-MAH(P-6)/3A]

SAIKH AMINKHAN, Director